भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1097

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड

1097. श्री उज्ज्वल रमण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जिन परिवारों में छह से कम सदस्य हैं और 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं है, वे आयुष्मान कार्ड के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो छह सदस्यों से कम सदस्यों वाले परिवारों के उपचार के लिए क्या व्यवस्था की गई है;
(ग) क्या सरकार का छह से कम सदस्यों वाले परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की जनसंख्या के सबसे निचले 40% हिस्से में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 12 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज मध्यम और विशिष्ट स्तर की अस्पताल में भर्ती के लिए प्रदान करती है। मार्च 2024 में, इस योजना का विस्तार करके इसमें लगभग 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के परिवारों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त लाभार्थी श्रेणियों के लिए, परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं है। लाभार्थी परिवार के सभी पात्र सदस्य, उनकी आयु या लिंग की परवाह किए बिना, इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज के हकदार हैं।

अक्टूबर 2024 में, इस योजना का पुन: विस्तार किया गया जिससे इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा सके, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
